

प्रेस नोट दिनांक 17-09-2021

थाना सहसवान पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र सहित 04 अभिगण को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के कुशल निर्देशन में अवैध शस्त्र की बिक्री/तस्करी व अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17-09-2021 को थाना सहसवान पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सरसौता रोड सहसवान से 04 अभिगण 1. अर्जुन पुत्र रामवीर कश्यप 2. करन पुत्र रिषीपाल कश्यप निगण ग्राम रसूलपुर वेला थाना सहसवान जिला बदायूँ 3. टिन्कू पुत्र सत्यपाल कश्यप 4. जोगेन्द्र पुत्र लेखराज कश्यप निगण ग्राम धापड थाना सहसवान जिला बदायूँ को मय 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 04 कारतूस जिन्दा 315 बोर तथा 02 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना सहसवान पर क्रमशः मु0अ0सं0 1. मु0अ0सं0 401/21 धारा 399/402 भादवि 2. मु0अ0सं0- 402/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 3. मु0अ0सं0 - 403/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 4. मु0अ0सं0 - 404/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 405/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर उपरोक्त अभिगण को मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया गया ।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ